

निर्णय ब इजलास अन्तर सिंह मेहरा आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

प्रकरण संख्या 83/2021 (धारा 14 सेक्योरिटाईजेसन)

रिलायन्स एसेट्स रिकन्स्ट्रक्शन कम्पनी लि.

रजिस्टर पता-सिलायन्स सेंटर 6 ठी, मंजिल, नोर्थ विंग वेस्टन एक्सप्रेस हाईवे, खान्ताकुज (वेस्ट) मुम्बई एवं ए-13./1, 6ठी फ्लोर, सनेर्जी टावर सेंटर-62, नोरडा श्री विपिन कुमार नीना, एसाईमेन्ट मैसर्स रेलीगेयर हाउसिंग डवलपमेन्ट फाईनेन्स कार्पोरेशन लि.

प्राथी

बनाम

1. रामकिशोर मेहरवाल पुत्र श्री नारायण मेहरवाल
2. श्रीमती शोभा मेहरवाल पत्नी श्री रामकिशोर मेहरवाल  
पता- 395 गायत्री नगर, महारानी फार्म, दुर्गापुरा, जयपुर ।

अप्रार्थीगण

ऋणी एवं गारन्टर

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act.2002.

उपस्थित:-

1. प्रतिनिधि प्राथी वित्तीय संस्था की ओर से ।
2. श्री डॉ. सुनील शर्मा अधिवक्ता अप्रार्थीगण की ओर से।



आदेश


दिनांक

11.11.2021

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 30.10.2006 को वित्तीय संस्थान जी ई मनी फाईनेंशियल सर्विसेज लि. द्वारा पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्राथी रामकिशोर मेहरवाल के स्वामित्व की सम्पत्ति प्लॉट नं. 395 एवं प्लॉट नं. 394 का पूर्वी भाग, गायत्री नगर, महारानी फार्म, दुर्गापुरा, जयपुर क्षेत्रफल 592 वर्गगज को बन्धक रख कर कुल 5,70,000/-रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। तत्पश्चात मैसर्स मैग्ना फिनकार्य लि. (परिवर्तित नाम) द्वारा दिनांक 24.03.2017 को एसाईमेन्ट एग््रीमेन्ट प्राथी रिलायन्स एसेट रिकन्स्ट्रक्शन कम्पनी लि. को हो गया। अप्राथी ऋणी द्वारा प्राथी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्राथी ऋणी को दिनांक 16.09.2019 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्राथी वित्तीय संस्था ने The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act.2002. की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

जिस्ट्रेट  
जयपुर

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। न्याय हित में अप्रार्थी ऋणियों को सूचना पत्र जारी किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री डॉ सुनील शर्मा ने उपस्थित हो कर बकालतनामा पेश कर ऋण की राशि जमा कराने के लिए समय चाहा।
3. उभय पक्ष को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।
4. प्रार्थी वित्तीय कम्पनी को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पंजीकरण प्रमाण पत्र संख्या 007/2008 दिनांक 14.02.2008 जारी किया गया है।
5. प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से धारा 14 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को 30 दिवस या अधिकतम 60 दिवस में निस्तारित किये जाने का प्रावधान है। अप्रार्थी ऋणी को प्रर्याप्त समय दिया जा चुका है। और अधिक समय नहीं दिया जा सकता है।
6. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थीगणों को 5,70,000/-रूपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बंधक के रूप में प्रार्थी बैंक के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि मय ब्याज कुल 7,10,805.67/-रूपये जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 16.09.2019 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का बैंक को कोई जवाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा बैंक को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रूपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत बैंक बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत बैंक के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है।
7. अतः The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी रामकिशोर मेहरवाल के स्वामित्व की सम्पत्ति प्लॉट नं. 395 एवं प्लॉट नं. 394 का पूर्वी भाग, गायत्री नगर, महारानी फार्म, दुर्गापुरा, जयपुर कुल क्षेत्रफल 592 वर्गगज का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।
8. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करे एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करे। आदेश की प्रति हस्त कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर दाखिल दफतर हो।
9. आदेश आज दिनांक 11.11.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

  
 (अन्तर सिंह नेहरा)  
**जिला मजिस्ट्रेट**  
 (कलक्टर) जयपुर